अध्याय–16
राष्ट्रीय विकास परिषद्
(National Development Council)

भारत में नियोजन के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाने हेतु विभिन्न उच्च स्तरीय संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता रही है। ''प्लैण्ड इकॉनामी फॉर इण्डिया'' पुस्तक में एम. विश्वेश्वरैया ने भी इस पर जोर दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग की सिफारिशों की देन है। जब भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा (ड्राफ्ट आउटलाईन) बनाई गई तब उसमें आयोग ने सिफारिश की कि इस प्रकार की एक संस्था बनाई जाए जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के जन प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की जाए, जिससे उसे एक राष्ट्रीय चरित्र की प्राप्ति हो सके। प्रारूप में कहा गया है– ''भारत जैसे भीमकाय देश में, जिसमें संविधान की व्यवस्था के अनुसार राज्यों को अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में पूर्ण स्वायत्तता (ऑटोनोमी) प्रदान की गई है, राष्ट्रीय विकास परिषद् जैसे मंच की अति आवश्यकता है, जिसमें समय–समय पर भारतीय प्रधानमंत्री तथा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री योजना की कार्यप्रणाली तथा उसके विविध पहलुओं की मिल बैठकर समीक्षा कर सकें तथा अपने–अपने अनुभव आपस में बाँट सकें।

इस तरह योजना आयोग के सुझाव पर भारत सरकार के एक प्रस्ताव के आधार पर 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना की गई। स्मरणीय है कि इस परिषद् में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होते है। तदापि, अन्य केन्द्रीय मंत्रीगण, जो कि स्वयं योजना आयोग के सदस्य नहीं हैं, भी इस मंच की कार्यवाहियों में हिस्सा लेते हैं। इसी भांति अनेक बार बाहरी व्यक्तियों के रूप में विषयों के जानकारों या विशेषज्ञों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है पर ऐसा बहुत जरूरी समझने पर कभी–कभी ही किया जाता है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जिससे योजना आयोग के दायित्वों को नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, अतः पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्बन्ध में जो भूमिका योजना आयोग निभाता था उसे अब नीति आयोग द्वारा लागू किया जायेगा।

स्थिति (Status) :

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में की गई अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुई थी। योजना आयोग की तरह ही राष्ट्रीय विकास परिषद् भी न तो संवैधानिक निकाय है और न ही विधायी निकाय। तथापि, केन्द्र राज्य संबंधों से संबद्ध सरकारिया आयोग ने अनुशंसा की थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद् को संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए तथा इसका नाम 'राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद्' रखा जाना चाहिए। इस तरह यह मंत्रिमण्डल संकल्प द्वारा गठित संस्था है। विद्यार्थियों को यह ज्ञात रहे कि संवैधानिक निकाय वह संस्थाएँ है जिनके गठन का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, जैसे–संघ लोक सेवा आयोग। विधायी निकाय वह संस्था है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर विधायिका द्वारा बनाया जाता है, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। योजना आयोग के विघटन के पश्चात् भारत सरकार पुरानी नियोजन प्रणाली पर आधारित राष्ट्रीय विकास परिषद् को भी आने वाले समय में समाप्त कर सकती है। भारत सरकार वर्तमान राष्ट्रीय विकास परिषद् की शक्तियाँ तथा दायित्वों को नीति आयोग की शासकीय परिषद् (Governing Council) को स्थानान्तरित करना चाहती है। आने वाले समय में यदि ऐसा होता है तो एक पृथक संस्था के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद् का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यह परिषद् नीति आयोग की एक उप संस्था के रूप में कार्य करेगी। अभी मार्च 2017 में राष्ट्रीय विकास परिषद् अपने मौलिक स्वरूप में बनी हुई है तथा सरकार द्वारा इसे समाप्त नहीं किया गया है।

संरचना (Composition) :

वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं –

1. भारत के प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में)
2. मंत्रिमण्डल स्तर के सभी केन्द्रीय मंत्री (वर्ष 1967 से)
3. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
4. सभी संघशासित राज्यों के मुख्यमंत्री/प्रशासक
5. नीति आयोग के सदस्य (विशेषज्ञ) (पूर्व में योजना आयोग के सदस्य)

जरूरत पड़ने पर अन्य मंत्री तथा विशेषज्ञ भी परिषद् की बैठक में बुलाए जा सकते है, 1952 में भारत में राज्य तीन श्रेणियों में विभक्त थे जिससे परिषद् में सदस्यों की संख्या 50 तक हो गई थी। 1956 में भारत के विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिससे प्रांतीय सदस्यों की संख्या में कमी आ गई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर 1967 से भारत सरकार के सभी केबिनेट स्तर के मंत्रियों को इसका सदस्य बनाया गया। 1954 में परिषद् के कार्यों में सहायता हेतु एक स्थाई समिति बनाई गई। पूर्व में योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद् का भी सचिव होता था। राष्ट्रीय विकास परिषद् को कार्यों के निष्पादन में योजना आयोग से प्रशासनिक और अन्य तरह की सहायता भी प्राप्त होती रही है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.)

अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) संघ सरकार के सभी मंत्रिमण्डल (केबिनेट) स्तर के मंत्री(1967 से) योजना आयोग (नीति आयोग) के विशेषज्ञ मुख्यमंत्री (सभी राज्यों के) तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल या अन्य समस्तरीय प्रतिनिधि

उद्देश्य (Objectives) :

राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी –

1. राष्ट्रीय विकास परिषद् का परम उद्देश्य योजना को कार्यरूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना है।
2. योजना/योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को सुदृढ़ता और गतिशीलता प्रदान करना।
3. सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना।
4. देश के सभी भागों में त्वरित एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना।

परिषद् के कार्य (Functions) :

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 1952 के प्रस्ताव (जिसके फलस्वरूप परिषद् का गठन हुआ) द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् को कई कार्य सौंपे गए थे। इन कार्यों को वर्ष 1967 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित और पुनर्परिभाषित किया गया था। संशोधित कार्यों की सूची इस प्रकार है :

1. राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए मार्ग–निर्देश निर्धारित करना।
2. योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना।
3. योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का आंकलन करना और उनको बढ़ाने के उपाय सुझाना।
4. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक महत्व के विषयों पर विचार करना।
5. राष्ट्रीय योजना से संबंधित कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना।
6. राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना।

कार्य प्रकिया (Working Procedure) :

राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) निर्माता प्रस्ताव में कहा गया, 'परिषद् की बैठकें जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार होंगी तथा वर्ष में कम से कम दो बार होंगी। किसी भी बैठक की कार्यावली (1) स्वयं अथवा नीति आयोग (योजना आयोग) द्वारा सुझाए गए विषय, (2) केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा सुझाए गए विषय, (3) राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए विषय होते हैं। परिषद् का सचिव कार्यावली के प्रत्येक विषय पर स्मृति–लेख तैयार करवाता है। ये स्मृति–लेख तथा अन्य आवश्यक पत्र पहले ही मंत्रियों में बाँट दिए जाते हैं। परिषद् की कार्यवाही प्रधान मंत्री जो परिषद् का अध्यक्ष होता है, के सम्बोधन से प्रारम्भ होती है। बैठक के दौरान समितियों के विचार, तथा अन्य सुझावों पर भी चर्चा की जाती है। इस समय राज्यों का पक्ष मुख्यमंत्री प्रस्तुत करते है। सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड तैयार करवाया जाता है।

यद्यपि परिषद् की बैठकों में किसी प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है। प्रयास यह रहता है कि अधिकतर निर्णय सभी की सहमति से हो जाए। परिषद् के कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए मंत्रिमण्डल स्तरीय मंत्री, मुख्यमंत्री तथा विशेषज्ञ सदस्यों से युक्त समितियाँ बनाई जाती है। ये समितियाँ नियोजन के क्षेत्र से जुड़े किसी विशिष्ट मुद्दे पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा करती हैं। अभी रोजगार, अनुसूचित जाति अत्याचार, चिकित्सा, शिक्षा, जनसंख्या आदि पर समितियाँ कार्यरत है। प्रशासन में विभिन्न सुधारों हेतु भी एक उप समिति बनाई गई है।

व्यावहारिक अनुभव (Practical Experience) :

राष्ट्रीय विकास परिषद् की सर्वप्रथम बैठक 8–9 नवम्बर, 1952 को आयोजित की गई। परिषद् की अभी तक 57 बैठकें हो चुकी है तथा नवीनतम बैठक 27 दिसम्बर, 2012 को आयोजित की गई। इस बैठक में कृषि, विद्युत, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि पर बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दिया गया। इसी बैठक में पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का क्षेत्र बढ़ाने हेतु जोर दिया गया। 1952 में जब से एन.डी.सी. की स्थापना हुई, तब से यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मामला या प्रश्न नहीं है जिस पर यह संस्था विचार न कर सके। इसकी व्यस्तताएँ कई और विभिन्न हैं, तथा इसके मौलिक दायित्वों के अध्ययन से इसके वर्तमान कार्यों का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। इसके प्रमुख कर्त्तव्य में वर्णित था कि यह समय–समय पर राष्ट्रीय योजना की कार्यविधि का पुनर्विलोकन करेगी।

व्यवहार में परिषद् योजना की संरचना और आकार के संबंध में संस्तुतियाँ करती है। योजना एक प्रारूप के रूप में सामान्य सहमति के लिए इसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। परिषद् समय–समय पर योजना पुनर्विलोकन हेतु भी मिलती है और इस प्रकार इसे समन्वित क्रियान्वयन उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैठकों में यह राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक नीतियों के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करती है। यह देश के विभिन्न भागों में सन्तुलित विकास पर बल देती है तथा इस लक्ष्य हेतु घटती हुई क्षेत्रीय असमानताओं की समस्याओं के निरंतर अध्ययन के साथ–साथ सामान्य विकास के उपयुक्त सूचकों की स्थापना करने पर जोर दिया है। इसने विकेन्द्रिकृत औद्योगिक उत्पादन का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, परिषद् नशाबन्दी की नीति पर सहमत है तथा इसने इसे लागू करने के लिए क्रमिक प्रतिबन्ध कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया है।

परिषद् ने अपनी स्थापना के बाद से ही जिला, क्षेत्र तथा ग्रामीण स्तरों पर पंचायती राज लागू करने का समर्थन किया है, तथा सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य पंचायत राजव्यवस्था का विकास इस प्रकार करे कि यह उस राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसने देश में ''सहकारी खेती विस्तार नीति'' का पूर्ण समर्थन किया है तथा सहकारी समितियों के संगठन एवं उन्हें दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में व्यापक सिद्धान्त भी निर्धारित किए है। व्यवहार में

परिषद् द्वारा अपने स्थान से हटाए गए विस्थापितों के पुनर्वास से लेकर राष्ट्र में आपातकाल लगने पर भी विचार किया गया है। 1990 के पश्चात् उदारीकरण व वैश्वीकरण से संरचनात्मक नियोजन (Indicative Planning) आरम्भ हुआ जिससे योजना प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका बढ़ी है।

इससे राष्ट्रीय विकास परिषद् का भी महत्व बढ़ा है चूंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सन् 2000 के दशक से परिषद् सतत् एवं समावेशी विकास पर जोर देने लगी है। क्योंकि वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के दौर में जहाँ एक तरफ विकास दर में तेजी आई है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक–आर्थिक विषमताओं में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में समावेशी विकास (Inclusive Development) के आधार पर ही व्यावहारिक नियोजन सम्भव है।

मूल्यांकन (Evaluation) :

आज राष्ट्रीय विकास परिषद् का प्रथम कार्य संघीय सरकार, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य एक प्रकार की कड़ी का कार्य करना है। यह केवल योजनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों के समन्वय में ही सहायक नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के अन्य महत्वपूर्ण विषयों के समन्वय में भी योग देती है। दूसरे, यह वाद–विवाद तथा विचारों के पूर्ण एवं स्वतंत्र आदान–प्रदान के लिए श्रेष्ठ मंच का कार्य करती है। तीसरे, राज्यों तथा केन्द्र सरकार के बीच उत्तरदायित्व विभाजित करने हेतु यह एक प्रभावशाली उपकरण भी है। परिषद् की अनेक आलोचनाएँ की जाती हैं। कुछ लोग तो इस परिषद् पर यह आरोप लगाते हैं कि इसके द्वारा सत्ता हड़प ली गयी है एवं यह एक उच्चतर मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करती है।

लेखक ब्रेकर (Brecher) ने इस परिषद् का उल्लेख करते हुए कहा है कि '' राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना नियोजन के उच्चतम प्रशासकीय एवं परामर्शदात्री निकाय के रूप में की गयी थी। यह मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित नीति–निर्देशों को ही निर्धारित करती है।'' राष्ट्रीय विकास परिषद् स्पष्टतः योजना आयोग से उच्च निकाय रहा है। वस्तुतः यह नीति–निर्माण करने वाला एक निकाय है और इसकी सिफारिशें केवल सुझाव मात्र नहीं हैं, बल्कि वे नीति संबंधी निर्णय है। संथानम का कथन है कि '' राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थिति सम्पूर्ण भारतीय संघ के उच्च मंत्रिमण्डल के समकक्ष सी है, अर्थात् उसने एक ऐसे मंत्रिमण्डल का रूप धारण कर लिया है जो भारत सरकार और साथ ही सभी राज्यों की सरकारों के लिए कार्य कर रहा है।'' योजना आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी स्वीकृति के बाद उसे राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाता है। इसके बाद योजना को संसद में रखा जाता है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे अधिकारिक योजना माना जाता है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इसलिए, सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित नीतिगत विषयों के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद्, संसद के बाद, सर्वोच्च निकाय है जो इन विषयों से संबंधित नीति–निर्धारित करने के लिए जिम्मेंदार है।

उपर्युक्त आलोचना को समझने के लिए यह जानकारी आवश्यक है कि परिषद् की स्थिति न तो संवैधानिक है और न ही संविधिक (Staturory)। यह तो केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सृष्टि है। इसकी सिफारिशें किसी पर बन्धनकारी नहीं हैं, यद्यपि यह सच है कि व्यवहार में यह परिषद् उच्च श्रेणी की नीति–निर्मात्री निकाय बन गयी है, और इसकी सिफारिशें प्रायः स्वीकार कर ली जाती है। इसका कारण इसकी सदस्यता की प्रकृति है। इसके सदस्यों की स्थिति एवं स्तर तथा कार्यों के कारण परिषद् निश्चय ही अधिकाधिक प्रभाव, प्रतिष्ठा और वास्तविक सत्ता प्राप्त कर चुकी है। भारत के आर्थिक उदारीकरण एवं स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में प्रवेश के बाद योजना आयोग का महत्व स्वतः धीरे–धीरे कम हो गया था फलतः उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। लेकिन आज भी राष्ट्रीय विकास परिषद् का महत्व देश का सर्वांगीण विकास करने हेतु केन्द्र व राज्य के मध्य योजक कड़ी के रूप में बना हुआ है। यद्यपि आने वाला समय ही राष्ट्रीय विकास परिषद् के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन को तय करेगा तथापि परिषद् का जो भी नाम एवं स्वरूप हो इसका उसी रूप में महत्व बना रहेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग की सिफारिश की देन है, इसका गठन भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव से 6 अगस्त, 1952 को हुआ।
2. राष्ट्रीय विकास परिषद् की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते है।
3. केन्द्र राज्य संबंधों से संबद्ध सरकारिया आयोग ने अनुशंषा की थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद् को संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए तथा इसका नाम 'राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद्' रखा जाना चाहिए।
4. राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) निर्माता प्रस्ताव में कहा गया, 'परिषद् की बैठकें जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार होंगी तथा वर्ष में कम से कम दो बार होंगी।
5. राष्ट्रीय विकास परिषद् का परम उद्देश्य योजना को कार्यरूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना है।
6. वर्ष 1952 के प्रस्ताव (जिसके फलस्वरूप परिषद् का गठन हुआ) द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् को कई कार्य सौंपे गए थे। इन कार्यों को वर्ष 1967 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंषा के आधार पर संशोधित और पुनर्परिभाशित किया गया था।
7. राष्ट्रीय विकास परिषद् की सर्वप्रथम बैठक 8–9 नवम्बर, 1952 को आयोजित की गई।
8. नियोजन में, एक देश में उपलब्ध भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों का व उनसे हो सकने वाले आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जाना हैं।
9. पहली बार नियोजित विकास का विचार श्री एम. विश्वेश्वरैया से सन् 1934 में दिया था।
10. मूल रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद् एक परामर्शदात्री संस्था मात्र हैं, किन्तु देश के नियोजित विकास में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
11. केन्द्रीय स्तर के नियोजन तंत्र की प्रमुख संस्थाएँ नीति आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद् हैं।

12. राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है। इसकी स्थापना 6 अगस्त, 1952 में की गई।
13. राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना आयोग और विभिन्न संस्थानों में परस्पर तथा केन्द्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
14. राष्ट्रीय विकास परिषद् समय–समय पर योजनाओं की समीक्षा करती है तथा अपने सुझाव देती है।
15. योजना आयोग (अब नीति आयोग) के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य होते है।
16. योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न :

1. नियोजन का अर्थ है :
(अ) पूर्व दृष्टि (ब) दूर दृष्टि
(स) पूर्व तैयारी (द) उपर्युक्त सभी

2. ''प्लैण्ड इकॉनामी फॉर इण्डिया'' पुस्तक के लेखक हैं :
(अ) एम. विश्वेश्वरैया
(ब) जवाहरलाल नेहरू
(स) श्रीमति इंदिरा गांधी
(द) के.सी.नियोगी

3. राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन कब किया गया :
(अ) 1947 (ब) 1949
(स) 1950 (द) 1952

4. राष्ट्रीय विकास परिषद् का अध्यक्ष होता है :
(अ) राष्ट्रपति
(ब) प्रधानमंत्री
(स) योजना आयोग का उपाध्यक्ष
(द) वित्तमंत्री

5. योजना आयोग का कार्य है :

(अ) योजना में प्राथमिकताओं का निर्धारण
(ब) आर्थिक विकास का नियोजन
(स) उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का आंकलन
(द) उपर्युक्त सभी

6. राष्ट्रीय विकास परिषद् का सचिव होता है :
(अ) कैबिनेट सचिव (ब) योजना आयोग का सचिव
(स) वित्त सचिव (द) मुख्य सचिव

7. भारत में योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद् किस प्रकार की संस्थाएँ हैं :
(अ) प्रशासनिक संस्था (ब) परामर्शदात्री संस्था
(स) संवैधानिक संस्था (द) इनमें से कोई नहीं

8. सरकारिया आयोग ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद् को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था ?
(अ) 163 (ब) 263 (स) 280 (द) 352

9. किस वर्ष से मंत्रिमण्डल स्तर के सभी मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य बने ?
(अ) 1957 (ब) 1967 (स) 1977 (द) 1987

10. निम्नलिखित में से कौनसा राष्ट्रीय विकास परिषद् का कार्य नहीं है ?
(अ) योजना तैयारी हेतु मार्ग–निर्देश निर्धारित करना
(ब) राष्ट्रीय योजना पर विचार करना
(स) योजना की समय–समय पर समीक्षा करना
(द) योजना को क्रियान्वित करना

11. भविष्य में राष्ट्रीय विकास परिषद् का विलय निम्नलिखित किस संस्था में किया जा सकता है –
(अ) वित्त आयोग (ब) मंत्रिमण्डल
(स) नीति आयोग (द) संसद

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
2. राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन पहली बार कब किया गया था ?
3. राष्ट्रीय विकास परिषद् का अध्यक्ष कौन होता है ?
4. राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है ?
5. राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना का सुझाव किसने दिया ?
6. राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य बताइये ?
7. राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है ?
8. राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई ?
9. राष्ट्रीय विकास परिषद् को सुपर केबिनेट किसने कहा है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. नियोजन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए।
2. संक्षेप में नियोजन की आवश्यकता बताईये।
3 राष्ट्रीय विकास परिषद् के प्रमुख तीन कार्य बताईये।
4. राष्ट्रीय विकास परिषद् की कोई तीन उपलब्धियाँ बताईये।
5. राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना के तीन उद्देश्य बताईये।
6. राष्ट्रीय विकास परिषद् का संगठन बताईये।
7. सुपर केबिनेट से क्या अभिप्राय है ?

8. राष्ट्रीय विकास परिषद् की कार्य प्रक्रिया समझाइये।
9. राष्ट्रीय विकास परिषद् का दर्जा स्पष्ट कीजिए।
10. भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद् के भविष्य पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न :

1. ''राष्ट्रीय विकास परिषद्, संघीय सरकार, नीति आयोग एवं राज्य सरकारों के मध्य एक प्रकार की कड़ी का कार्य करती है।'' इस कथन पर प्रकाश डालते हुए परिषद् के कार्यों का उल्लेख कीजिए।
2. राष्ट्रीय विकास परिषद् के संगठन एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिये।
3. राष्ट्रीय विकास परिषद् की कार्य–प्रक्रिया एवं व्यावहारिक अनुभवों पर लेख लिखिए।
4. भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद् के उद्देश्य बतलाते हुए इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तरमाला :

(1) द	(2) अ	(3) द	(4) ब
(5) द	(6) ब	(7) ब	(8) ब
(9) ब	(10) द	(11) स	